भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5405

उत्तर देने की तारीख : 25.07.2019

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास

5405. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः
डॉ. सुजय विखे पाटीलः
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लाभ के लिए सिडबी के सहयोग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) हेतु ऋण गारंटी निधि न्यास शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधियां अनुमोदित और उपयोग की गई हैं तथा इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बैंक के पास उपलब्ध ऐसी अन्य ऋण गारंटी योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए कोई संपाश्विक प्रतिभूति प्रदान करना जरूरी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बुंदेलखंड सहित आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) : जी, हां।

(ख) : सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के ऋणप्राप्तकर्ताओं को ऋणप्रदाता संस्थाओं द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं के संबंध में गारंटी प्रदान करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

सीजीटीएमएसई योजना के तहत विगत तीन वर्षों में संस्वीकृत एवं जारी की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं	वित्त वर्ष	रुपए (करोड़ में)
1.	2016-17	715.68
2.	2017-18	3002.00
3.	2018-19	744.94

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभग्राहियों का विवरण अनुबंध पर संलग्न है।

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय की अन्य कोई क्रेडिट गारंटी योजना नहीं है।

(घ) : सीजीटीएमएसई ने नई "हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोडक्ट" आरंभ किया है जिसमें बैंक/ऋणप्रदाता संस्थाओं को ऋण सुविधा के केवल प्रतिभूति रहित भाग के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी प्राप्त करने की अनुमति है। सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटीशुदा ऋण सुविधा के सुरक्षित भाग के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी और/अथवा तृतीय पक्ष गारंटी अनिवार्य नहीं है।

(ङ) : एमएसएमई मंत्रालय की योजनाएं बुंदेलखण्ड क्षेत्र सहित देशभर में कार्यान्वित की जाती हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5405 जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2019 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विगत तीन वर्षों के लिए सीजीटीएमएसई के आंकड़ें

क्र.सं.	राज्य	01/4/2016 से 31/03/2017 तक		01/4/2017 से 31/03/2018 तक		01/4/2018 से 31/03/2019 तक	
		प्रस्ताव	राशि (लाख रु. में)	प्रस्ताव	राशि (लाख रु. में)	प्रस्ताव	राशि (लाख रु. में)
1	अंडमान और निकोबार	393	2288.63	302	2478.33	332	3010.01
2	आंध्र प्रदेश	13911	38550.77	10141	34166.69	29812	97940.75
3	अरुणाचल प्रदेश	824	3653.56	400	2937.09	347	2427.61
4	असम	10934	42725.43	7165	46752.81	12978	79268.80
5	बिहार	16397	67168.32	10572	52828	18464	129592.46
6	चंडीगढ़	1307	6533.43	549	6242.41	7752	33530.80
7	छत्तीसगढ़	6716	23573.37	3043	32280.03	5252	49729.90
8	दादरा और नागर हवेली	67	1414.64	101	3403.22	111	2468.78
9	दमण और दीव	60	1025.71	38	789.05	73	2714.21
10	दिल्ली	8680	63963.06	4071	61780.22	13615	135009.32
11	गोवा	2036	11603.38	1216	11118.82	1353	12021.80
12	गुजरात	15985	115046.56	9640	152585.14	21423	210413.86
13	हरियाणा	7108	44793.16	4185	48742.43	5179	62891.87
14	हिमाचल प्रदेश	6684	26286.55	3313	21036.43	2682	20968.72
15	जम्मू और कश्मीर	5557	15733.11	11538	25983.98	11724	34832.79
16	झारखंड	15106	92006.12	10007	94259.38	11281	124452.00
17	कर्नाटक	46229	227845.08	20845	196776.76	27796	249655.36
18	केरल	38194	97313.01	17816	57207.31	17189	85175.41
19	लक्षदीप	62	107.52	11	28.22	15	60.04
20	मध्य प्रदेश	20479	103899.71	18766	116921.12	26325	157292.44
21	महाराष्ट्र	52623	283494.9	20223	238633.59	41206	371819.81
22	मणिपुर	878	3338.81	952	5295.09	1419	4388.78
23	मेघालय	1068	4277.82	866	4573.07	515	4453.89
24	मिजोरम	545	2725.69	355	1872.62	267	2309.38
25	नागालैंड	1432	4786.24	1226	5260.55	1003	3961.60
26	ओडिशा	18950	79508.54	12310	73814.3	19266	121341.35
27	पुडुचेरी	979	2354.18	611	2790.88	489	3780.72
28	पंजाब	11916	42757.49	7029	46570.08	6850	55955.76
29	राजस्थान	13401	52984.23	4838	43740.77	20013	114828.99
30	सिक्किम	292	1467.19	167	1054.06	280	2493.88
31	तमिलनाडु	49000	185823.62	30282	178410.86	37692	254301.15
32	तेलंगाना	13692	63220.21	6343	55814.23	17037	102141.47
33	त्रिपुरा	866	3043.61	843	3187.56	455	2422.38
34	उत्तर प्रदेश	48954	168528.05	29266	166676.03	49983	286294.52
35	उत्तराखंड	6000	26726.48	3630	24147.59	4693	31832.82
36	पश्चिम बंगाल	14802	82580.72	10535	86431.59	20649	161073.74
	कुल	**452127**	**1993148.9**	**263195**	**1906590.31**	**435520**	**3016857.17**